मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. / 6614 / वित्त एवं लेखा / एनआर–4 / NREGS-M.P / 11 भोपाल, दिनांक 22/6/11

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला पंचायत ....समस्त (म.प्र.)

विषय :– वित्त एवं लेखा संबंधी एम.आई.एस. शुद्धतापूर्वक करने बाबत् ।
संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 12676 / NREGS-MP / 2010 भोपाल दि. 15 / 12 / 10
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 6439 / MIS / एनआर–10 / 130 / NREGS-M.P / 11 भोपाल दिनांक 20.6.2011

––00––

विषयान्तर्गत भारत सरकार के स्तर से स्कीम की एम.आई.एस. को अद्यतन करने के निरन्तर निर्देश रहे है। इसी परिप्रेक्ष्य में परिषद् द्वारा भी समय–समय पर निर्देश जारी किए गए है एवं विभिन्न बैठकों में भी सूचना दी गई हैं।

वित्त वर्ष 2010–11 के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि MIS में दर्ज व्यय को ही वित्तीय वर्ष 2010–11 का अंतिम व्यय माना जायेगा। वित्तीय वर्ष 2011–12 के Opening Balance का आधार जिले में उपलब्ध राशि को तथा MIS में दर्ज व्यय का ही माना जायेगा।

इसी के साथ भविष्य में कृपया वित्त एवं लेखा संबंधी एम.आई.एस. एण्ट्री शुद्धता पूर्वक संपादित कराए जाने हेतु आपके लेखाधिकारी एवं डाटा मेनेजर को कड़े निर्देश प्रसारित करें। सही आंकड़े देने का दायित्व लेखाधिकारी का होगा एवं उन आंकड़ों को शुद्धता पूर्वक MIS में इन्द्राज करने का उत्तरदायित्व सीनियर डाटा मैनेजर का होगा। आकड़ो में अंतर की दशा में या कार्य न हो पाने की स्थिति में गुण–दोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अवगत करावें। सहमत होंगे कि आपके जिले के आंकड़े शुद्ध रहें इस हेतु आपकी भी इस कार्य में महती भूमिका एवं जिम्मेदारी है।

22/6/11

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

E:\Aks-jcfa-JCFA Nemi Teep, Letter, Notesheet\NERGS-MP- Letter-JCFA New dt.25-11-.doc581